

## कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद बागपत (FS बडौत) उत्तरप्रदेश

पत्रांक: 235/24 कार्य0/FS बडौत जनपद बागपत

दिनांक मार्च 20, 2024

सेवामें,

स्वामी/प्रबन्धक  
जैन एकेडमी,  
मैन पाठशाला रोड, खेकडा,  
जनपद बागपत उ0प्र0

विषय—स्कूल/कालिज में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में—


संदर्भ—आपके प्रार्थना पत्र संख्या 113/कार्य/फा0/2023 दिनांक 28.02.2024

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध बारह अदद फायर एक्सटिग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1120(1)/आट, दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये 150 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बडौत जनपद बागपत में चलान संख्या 990106 दिनांक 07.03.2024 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त बारह अदद फायर एक्सटिग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है—

क्रमांक	फायर एक्सटिग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	ABC Type Fire ExtingGuser	4 किग्रा	20	कार्यशील
2	DCP Fire Exting Guser	5 किग्रा	02	कार्यशील
3	फायरबकेटस	09 लीटर	20	कार्यशील
4	होजरील	100 फीट	06	कार्यशील
5	फोमट्राली	50 लीटर	02	कार्यशील
6	समर्सिबल	04 ईंच	01	कार्यशील

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी है। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं मानको के अनुसार वांछनीय होगी तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्तानुसार पालन न करने का दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः लखमी चन्द पटवारी कॉलिज ऑफ लॉ, मेन रोड, खेकडा जनपद बागपत उ0प्र0 को मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था के उपरान्त अग्नि शमन पत्र निर्गत किया गया।

  
(अग्निशमन अधिकारी)  
फायर स्टेशन बडौत  
बागपत